

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1498] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2015/आषाढ़ 24, 1937 No. 1498] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2015/ASHADHA 24, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2015

का.आ. 1921(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी. अर्थात:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"3	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 [किमी 963.000 से किमी 1126 (रारा-31सी/31-नलबाड़ी	असम राज्य
	गुवाहाटी जंक्शन) तक खंड को छोड़कर], सं. 31बी, सं. 36 [िकमी 0.000 से किमी	सरकार ।
	38.000 (दाबोका से नगांव खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 37 [किमी 146.000 से	
	किमी 274.000 (गुवाहाटी बाइपास सहित गुवाहाटी से नगांव) तक खंड को छोड़कर],	
	किमी 278.58 से किमी 315.315 (नगांव बाइपास से कलियाबोर खंड) और किमी	

3099 GI/2015 (1)

402.500 से किमी 603.160 (नुमालीगृह से डिब्रूगृह खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 37ए [किमी 0.000 से किमी 17.300 (किलयाबोर तिनियाली से ढोलाबारी जंक्शन खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 38 [किमी 20.000 से किमी 53.000 (डिगबोई - मरघेरिता – लीडो टाउन खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 39, सं. 44, सं. 51, सं. 52 [किमी 135.000 से किमी 264.100 (मिशन चरैली - जामगुड़ी से गोहपुर खंड) और किमी 845.000 से किमी 876.000 (रूपाई से दीरक खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 52ए [किमी 20.370 से किमी 30.045 (गोहपुर से होलोंगी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 52वी, सं. 53 [किमी 6.25 से किमी 10.400 (सिलचर – बदरपुर खंड) और किमी 22.900 से किमी 28.570 (सिलचर – बदरपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 54 [किमी 0.000 से किमी 309.000 (सिलचर – हाफलोंग – लंका – दाबोका खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 61, सं. 151, सं. 152, सं. 153, सं. 154, **नई रारा सं.** 117ए, नई रारा सं. 127वी, नई रारा सं. 127सी, नई रारा सं. 127ई, नई रारा सं. 315ए, **नई रारा सं. 427, नई रारा सं. 627, नई रारा सं. 702 और नई रारा सं. 715ए** के उतने भाग जो कि असम राज्य में अवस्थित हैं।

[फा. सं. एनएच-14013/2/2015-पीएंडएम (पार्ट)] माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 1037(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRASPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2015

S.O. 1921(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

TABLE

(1)	(2)	(3)
"3	So much of National Highways No. 31 [excluding Km. 963.000 to Km. 1126 (Junction of National Highways 31C/31-Nalbari Guwahati)], No. 31B, No. 36 [excluding from Km. 0.000 to Km. 38.000 (section from Daboka to Nagaon)], No. 37 [excluding from Km.146.000 to Km. 274.000 (Guwahati to Nagaon including Guwahati Bypass), from Km. 278.58 to Km.315.315 (Nagaon Bypass to Kaliabhor section) and from Km. 402.500 to Km. 603.160 (Namaligarh to Dibrugarh section)], No. 37A [excluding from Km. 0.000 to Km. 17.300 (Kaliabor Tiniali to Dholabari Junction section)], No. 38	State Government of Assam.

[excluding from Km. 20.000 to Km. 53.000 (Digboi-Margherita-Ledo Town section)], No. 39, No. 44, No. 51, No. 52 [excluding from km. 135.000 to Km. 264.100 (Mission Charaili-Jamaguri to Gohpur section) and from Km. 845.000 to 876.000 (section from Rupai to Dirak)], No. 52A [excluding from Km. 20.370 to Km. 30.045 (Gohpur to Holongi section)], No. 52B, No. 53 [excluding from Km. 6.25 to Km. 10.400 (Silchar-Badarpur section) and from Km. 22.900 to Km. 28.570 (Silchar-Badarpur section)], No. 54 [excluding from km. 0.000 to km. 309.000 (Silchar-Haflong-Lanka-Daboka section), No. 61, No. 151, No. 152, No. 153, No. 154, new NH No. 117A, new NH No. 127B, new NH No. 127C, new NH No. 127D, new NH No. 127E, new NH No. 315A, new NH No. 427, new NH No. 627, new NH No. 702 and new NH No. 715A as are situated within the State of Assam.

[F. No. NH-14013/2/2015-P&M (Pt)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note:—The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1037(E), dated the 17th April, 2015.